

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-18/2015-
प्रेषक,

41 आवंटन

/कृ0, पटना, दिनांक 16/6/2015

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

Fax/Mail

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमूर/गया/जहानाबाद/
अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पंचम्पारण/
सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/
शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/
कटिहार/खगड़िया।

विषय:

कृषि रोड मैप के अधीन राज्य में गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना तथा स्वर्णा सब-1 धान मिनीकिट बीज वितरण की योजना वर्ष 2015-16 खरीफ में 560.25 लाख रु० (पाँच करोड़ साठ लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए 89.64 लाख रु० (नवासी लाख चौंसठ हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹89,64,000 (नवासी लाख चौंसठ हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-9/उपा०/बीज/विविध (अनुदान)-13/2015 2872 दिनांक-10.06.2015 द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन राज्य में गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना तथा स्वर्णा सब-1 धान मिनीकिट बीज वितरण की योजना वर्ष 2015-16 खरीफ में 560.25 लाख रु० (पाँच करोड़ साठ लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए 89.64 लाख रु० (नवासी लाख चौंसठ हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹89,64,000 (नवासी लाख चौंसठ हजार रुपये) संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2.उपरोक्त कुल ₹89,64,000 (नवासी लाख चौंसठ हजार रुपये) की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग संख्या-1-उपशीर्ष-0117- बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-P2401007890117, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 15, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष 3301 सब्सिडी में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

उपरो

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

41 आवेदन

/कृ०, पटना, दिनांक 16/6/2015

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

41 आवेदन

/कृ०, पटना, दिनांक 16/6/2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट पूर्णियाँ/सभी उप कृषि निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक, (शष्य), बीज बिहार पटना/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विवरणी सहित विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुमन

सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2872दिनांक-10.06.2015 द्वारा (अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए) खरीफ 2015 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं स्वर्णा सब-1 धान मिनीकिट बीज वितरण अंतर्गत बीज अनुदान मद की जिलावार राशि की आवंटन विवरणी।

विपत्रकोड-P2401007890117

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि
1	2	3
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	1,20,000
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	93,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	1,09,000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	1,09,000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	1,65,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर।	1,31,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	3,63,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	67,000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	39,000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	1,24,000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	2,13,000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	2,05,000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	1,34,000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	1,32,000
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	7,59,000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	1,24,000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	1,40,000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	4,62,000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	1,46,000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	1,37,000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	5,52,000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	6,37,000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	95,000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	74,000
25	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	68,800
26	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	44,000
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	37,000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	1,76,000
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	1,08,000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका।	2,49,000
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	3,19,000
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	4,47,000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	3,50,000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ	5,93,000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	4,63,000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	4,96,000
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	4,59,000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	25,000
	कुल	89,64,000

कुल- (नवासी लाख चौसठ हजार रूप) मात्र।

उप

16/6/15

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

नाम